

20.8.24

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्त के अधिवक्ता
अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्त पूर्व में छः
पेशी पर अनुपस्थित रहे। न्यायालय में प्रभावी
पैरवी किये जाने हेतु बार की सूचित किया
जा चुका है। न्यायालय के नियत समय में
व समय समाप्ति तक अधिवक्ताओं की
बार-बार आवाज लगाई गई। अधिवक्ता
अपीलान्त की अनेक अवसर दिये जाने
के बावजूद भी अनुपस्थित रहने से पत्रावली
अदम दायरी अदम पैरवी में इसी स्तर
पर खारीश की जाती है। पत्रावली खारीश
उपरांत मंवर से कम की जाती है।


जिला कलक्टर
बालांतरा